न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 2609/2016 प्रार्थना पत्र

मनोहरलाल पिता ओम जाट, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
– प्रार्थी

//बनाम//

1– मदनलाल पिता निवासीलाल जैन, आयु वयस्क, निवासी केली, तहसील निम्बाहेड़ा।
2– देवीलाल पिता पन्नालाल काछी, आयु वयस्क, निवासी माध्याखेडी।
3– रामनारायण पिता पन्नालाल काछी, आयु वयस्क, निवासी माध्याखेडी।
4– पूरणमल पिता पन्नालाल काछी आयु वयस्क, निवासी माध्याखेड़ी।
5– चान्दमल पिता पन्नालाल काछी, आयु वयस्क, निवासी माध्याखेड़ी।
6– चन्द्री बाई पिता पन्नालाल काछी, आयु वयस्क, निवासी माध्याखेडी।
– विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 251ए रा.का.अधि.
श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
श्री जगदीश मेनारिया, अधिवक्ता विपक्षीगण उपस्थित
निर्णय दिनांक 31.01.2018

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा माध्याखेडी की खाता संख्या 44 की आराजी नं. 459 रकबा 0.8000 हेक्टेयर लगान 5.60 रूपये भूमि स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात पर आने जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता जो केली से खेतों पर जाता है उक्त रास्ते से आराजी नं. 437 में से पूर्व से पश्चिम होता हुआ आराजी नं. 467 की दक्षिणी पूर्वी कोने से विपक्षीगण की आराजी नं. 467 की पूर्वी मेड़ से दक्षिण से उततर आराजी नं. 460 की पूर्वी मेड पर होता हुआ प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की आराजी नं. 459 पर आता है। उक्त रास्ता 15 फीट चौड़ा होकर मौके पर चला आ रहा है तथा उक्त रास्ते से प्रार्थी अपनी आराजीयात पर कदीम से हल, बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि लाता ले जाता चला आ रहा है और इस एक मात्र कदीमी रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई रास्ता मौजुद नहीं है। विपक्षीगण प्रार्थी के उक्त कदीमी रास्ते में जबरन अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द करने पर आमदा हैं तथा प्रार्थी के उक्त कदीमी रास्ते में पत्थर, गढडे आदि खोदकर रास्ते के स्वरूप में परिवर्तन करने पर आमदा हें। समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। प्रार्थी विपक्षीगण को उक्त कदीमी रास्ते की भमि का डीएलसी की दर से जो भी राशि बनती है, भुगतान करने को तैयार है परन्तु विपक्षीगण जबरन दिगर लोगों के सिखावे में आकर कदीमी रास्ते को बन्द करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को नियमानुसार रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी ने मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी की खातेदारी

मे ंजाने का रास्ता प्रार्थी की आराजीयात के दक्षिण दिशा में दलीचंद कछावा निवासी मेघपुरा की आराजीयात में से होता हुआ प्रार्थी व प्रार्थी से पूर्व खातेदार भागीरथ गायरी निवासी केली भी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे। विपक्षीगण भी इसी कदीमी रास्ते से अपनी आराजी पर आते जाते हैं। विपक्षीगण को उक्त कदीमी रास्ते के उपयोग उपभोग से वंचित करने हेतु प्रार्थी द्वारा यह झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारीज योग्य है। प्रार्थी के पास अन्य रास्ता उपलब्ध है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

उभय पक्षों के कथनों के पश्चात तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/2016/1797 दिनांक 30.11.2016 के माध्यम से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार आराजी नं. 437 व 467 से होकर जो रास्ता जाता है वह 10 फीट चौडा होकर प्रार्थी की आराजी नं. 459 से लगभग 200 की दूरी पर है और राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी की आराजी नं. 459 व कदीमी रास्ते के मध्य आराजी नं. 460 रकबा 0.7700 हेक्टेयर भूमि स्थित है जिसके खातेदार देवीलाल, रामनारायण, पूरणमल, चांदमल, चन्द्री बाई पिता पन्नालाल कांछी, सा. देह दर्ज है। आराजी नं. 467 रकबा 1.7800 हैक्टेयर श्री मदनलाल पिता निवासी लाल महाजन निवासी केली के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता दिये जाने पर आराजी नं. 460 में से 0.0300 हेक्टेयर, आराजी नं. 467 में से 0.0300 हेक्टेयर तथा आराजी नं. 437 में से 0.0100 हैक्टेयर भूमि रास्ते में जाएगी।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। आराजी नं. 459 प्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। नक्शा ट्रेस अनुसार रेकार्डेड रास्ता आराजी नं. 437 के पूर्व में स्थित है। आराजी नं. 460 व 467 विपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिये जाने की स्थिति में आराजी नं. 437, 460 व 467 के खातेदार प्रभावित होते हैं परन्तु प्रार्थी ने आराजी नं. 437 के खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। इसके अतिरिक्त विपक्षीगण का कथन है कि प्रार्थी की आराजी के पूर्व खातेदार भी वैकल्पिक मार्ग का उपयोग उपभोग करते थे और प्रार्थी व विपक्षीगण भी इसी मार्ग का उपयोग उपभोग करते हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारों के अभाव में एवं वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से विधिक सहायता योग्य प्रतित नहीं होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31.01.2018 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा